

परिवार न्यायालय गया।
भरण-पोषण वाद संख्या 129 / 2023

रजनी देवी.....आवेदिका
बनाम
सौरभ भारती.....विपक्षी

दिनांक 12.05.2026

आवेदिका रजनी देवी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। वाद पुकार किया गया वाद पुकार पर आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका रजनी देवी के द्वारा विपक्षी सौरभ भारती के विरुद्ध धारा 125 Cr.P.C. अंतर्गत भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.07.2023 को दाखिल किया गया था। गया था, परंतु आवेदिका दिनांक 29.11.2023 से लगातार अनुपस्थित है तथा आज भी आवेदिका की ओर से कोई पैरवी नहीं दी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका को इस वाद में कोई रुचि शेष नहीं रह गई है।

अतः वाद बिना गुण – दोष पर विचार किए खारिज किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे ।

(लेखापित)

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, गया।
12.05.2026